2012/00034

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/11/14	पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्षकार उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 05,06,07,25,26 के सम्मन् दिनांक 13.04.2012 से आज तक प्रस्तुत करने हेतु निरन्तर अवसर प्रदान करने के बावजुद सम्मन् मुद्दायलाह पेश नही किये है। पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया लगता है की वादीगण वाद में किसी प्रकार की रुची नही लेते है। सीपीसी के आदेश 09 नियम 05 के माफिक जहा वादी समन तामिल के बिना लौटने के पश्चात सात दिवस तक नए समन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है वहा वादी का वाद खारिज योग्य होता है। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद में आदेशिका की दिनांक 13.04.2012 से आज दिनांक तक पालना नही कि है। तथा वादीगण की तरफ से प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन् मुद्दायलाह पेश नही किये वाद मात्र प्रतिवादीगण के समन पेश करने में 2012 से विचाराधीन है । वाद को आगे चलाया जाना न्याय की दृष्टि से हमारी राय में उचित नही है अतः वादीगण का वाद आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत् खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। खारिज का डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो , दाखिल दफ्तर हो। यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.) सहायक कलक्टर फलोदी सहायक कलक्टर फलोदी (जोधपुर)	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.01.09 17:13:02 IST
Reason: SelfAttested